संख्या-12/2024/001-216-12-5-2024-1763674-12-5002-002-7-2024

प्रेषक,

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 01 मार्च, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण, 03-मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू०सं०लेखा/380-डी/पुनर्विनियोग/2023-24, दिनांक 07.11.2024 एवं पत्रांक-भू०सं०लेखा/पुनर्विनियोग/2023-24/518-डी, दिनांक 16.02.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण, 03-मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण कार्यक्रम योजना के मानक मद 01-वेतन में हो रही बचतों से लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण, 03-मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम हेतु मानक मद 49-चिकित्सा प्रतिपूर्ति में रू० 238.15 लाख (रूपये दो करोड़ अड़तीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) के पुनर्विनियोग की अतिरिक्त धनराशि को संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित आर.ई.संख्या–बजट-1-497 दिनांक 27.02.2024 में प्रदत्त सहमति के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(6) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व विभाग का होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-सयम पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,38,15,000 (रुपये दो करोड़ अड़तीस लाख पंद्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम **मानक मद** 49 चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
रवीन्द्र प्रताप सिंह
अनु सचिव।

संख्या-12/2024/001-216-12-5-2024-1763674-12-5002-002-7-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ

5- संबंधित जनपदीय मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।

7- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवीन्द्र प्रताप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20232024-1305-2601337-12-5002-002-7-2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण, 03-मृदा सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम हेतु मानक मद 49-चिकित्सा प्रतिपूर्ति में रू० 238.15 लाख के पुनर्विनियोग प्रस्ताव के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2402001010300 (मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम)	01 (वेतन)	2,01,57,10,000 रुपये दो अरब एक करोड़ सत्तावन लाख दस हजार मात्र	14,25,15,000 रुपये चौदह करोड़ पच्चीस लाख पंद्रह हजार मात्र	-2,38,15,000 रुपये दो करोड़ अड़तीस लाख पंद्रह हजार मात्र	1,99,18,95,000	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2402001010300 (मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम)	49 (चिकित्सा व्यय)	1,20,00,000 रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र	2,38,15,000 रुपये दो करोड़ अड़तीस लाख पंद्रह हजार मात्र	3,58,15,000	2023-2024

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1-स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-

अ-अद्यतन व्यय के आधार पर उपलब्ध बचत।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

ब-उक्त मद में भुगतान हेतु आवश्यकता से कम धनराशि उपलब्ध होने के कारण।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-< बजट-1-497 > -2023-24, दिनांक- 27 फरवरी, 2024 ~~नवम्बर, 2023~~

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव (कृषि)
उत्तर प्रदेश शासन।

Digitally Signed by रमेश चन्द्र तिवारी
Date: 26-02-2024 16:46:05
Reason: Approved

(रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव।
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-A012-20232024-1305-2601337-12-5002-002-7-2023, दिनांक- नवम्बर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।